दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

मान्नीय अध्यक्ष महोदय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केम्प भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4950 निगरानी कमांक--------/

Entry 199

1— तेजेन्दर चावला चावला आयु वयस्क
आत्मज श्री चौईथराम चावला
निवासी एर्च—114 शास्त्री नगर भोपाल

2— श्रीमति आरती चावला आयु वयस्क
पत्नि श्री हरीश चावला
निवासी ई—6/69 अरेरा कालौनी
भोपाल ———————— निगरानीकर्ता

विरूध

श्रीमति कलावती पात्रे आयु वयस्क
पत्नि श्री रघुनाथ पात्रे
निवासी 35—बी नाबार्ड आफीसर
कालौनी सेक्टर ए शाहपुरा
भोपाल ———————— रेस्पाण्डेंट

निगरानी अंतर्गत धारा— 50 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

निगरानी कर्ता माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील टी0टी0 नगर वृत्त भोपाल के राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन प्रकरण कमांक 47/अ—12/16—17 ग्राम बावडिया कलॉ तहसील हुजूर जिला भोपाल पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 14/07/2017 से क्षुब्द एवं दुखित होकर निम्नलिखित तथ्यो एवं आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत करती है :—

प्रकरण के तथ्य

1— यह कि रेस्पाण्डेंट द्वारा भूमि खसरा नंबर 56/ख/26 ~~रकबा 0.024 हेक्टयर स्थित ग्राम बावडिया कलॉ भोपाल के~~ सीमाकन बावत् आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया था जो उनके आदेश दिनांक 14 जुलाई 2017 से स्वीकृत किया गया है से असंतुष्ट होकर यह रिवीजन निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./20174950**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	अनावेदिका की ओर से श्री मनोज रघुवंशी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदकगण के अभिभाषक पूर्व पेशी दिनांक 23-7-2019 को उपस्थित होकर प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 27-8-2019 नोट की गई थी । आवेदकगण को तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अत: प्रकरण आवेदकगण की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष	